INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 03 | January – March 2018

महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (हिसार एवं फतेहाबाद जिले के सन्दर्भ में)

पुष्पिन्द्र कौर , शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

भारत में व्यापक स्तर पर महिला राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष का प्रारम्भ स्वतन्त्रता आन्दोलनों के दौरान ही हो गया था। अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए भारतीय महिलाओं की तरफ से पहली माँग 1917 में की गई। 1917 में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1917 में ही मारग्रेट कॉजिन्स के नेतृत्व में 'सरोजनी नायडू, ऐनी बेसेन्ट, डॉ० जोशी, हीरा बाई टाटा एवं डारोथी जिना राजदास तत्कालीन भारत सचिव ई०एस० माण्टेन्यू व गवर्नर चेम्स फोर्ड से मिली तथा महिलाओं के मताधिकार की माँग की।

महिलाओं की राजनीतिक चेतना को जानने के लिए यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें यह विदित होता है कि भारत में पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, परन्तु धीरे–धीरे मध्य काल और आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई। स्वतन्त्र भारत के संविधान में महिलाओं को भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि ''धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध'' है अर्थात् राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। परन्तु महिलाओं को अब तक भी समाज में समानता के अधिकार नहीं मिले हैं।

जब तक लैंगिक समानता नहीं होगी, तब तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण निरर्थक ही साबित होगा। यदि महिलाओं को विकास प्रक्रिया से बाहर रखा जाये तो किसी भी समाज में विकास की गति धीमी ही रहेगी। भारत में अपार महिला शक्ति है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की कुल 83.30 करोड़ आबादी में महिलाओं की संख्या 40.51 करोड़ है। इसमें लगभग 65 प्रतिशत महिलाए ही साक्षर हैं। यदि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या देखी जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं हैं। जहाँ तक 0–6 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का प्रश्न हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह गिनती 927 से घटकर 919 रह गई है। भारत की बहुसंख्यक महिलाऐं राजनीतिक सामाजिक और नागरिक अधिकारों में अनभिज्ञ हैं। महिलाओं का सभी क्षेत्रों में विकास विशेषतः राजनीतिक क्षेत्र में उनका विकास समान लैंगिक अधिकारों के समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अतः निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में तो महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना ही होगा।

निर्णय निर्माण की सबसे उच्च इकाई संसद के सदन में 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ मात्र 59 महिलाऐं अर्थात् 10.8 प्रतिशत महिलाऐं ही सदस्य थी और 1952 से 2014 अब तक का यह प्रतिशत 11.37 रहा है। राज्य सभा के कुल 245 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 29 है अर्थात् 11.8 प्रतिशत महिलाऐं ही राज्य सभा की सदस्य है परन्तु 2019 की लोकसभा चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखा जाऐं तो 78 (14.3 प्रतिशत) महिलाऐं चुनकर आई है। जो अब तक का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य की विधानसभा में 1967 से 2014 तक महिलाओं का प्रतिशत मात्र 13.3 प्रतिशत रहा है। अभी भी महिलाओं का बड़ा समूह राजनीतिक क्षेत्र से स्वयं को पृथक रखे हुऐ था। गिनी–चुनी महिलाएं ही राजनीतिक निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आगे आ पाई थी।

भारतीय संदर्भ में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में गतिशील करने में गाँधी जी की भूमिका अद्वितीय रही है। उन्होंने पुरूषों की सहमती से हिन्दू–मुस्लिम स्त्रियों से राजनीतिक हिस्सेदारी अपील की और महिलाओं ने भारी संख्या में अपना योगदान दिया। इसलिए गाँधी जी ने साम्राज्यवादी शक्ति का सामना करने के लिए स्त्री–शक्ति को महत्त्व दिया। गाँधी जी सहभागिता के विषय में यह मानते थे कि समाज के प्रत्येक सदस्य को

बिना किसी भेद–भाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सभी स्तरों पर सहभागिता हेतु अधिकार प्राप्त हों। गाँधी जी का यह विश्वास था कि समाज के पुनःनिर्माण में स्त्रियों को एक सुनिश्चित भूमिका का निर्वाह करना होगा और इस हेतू सामाजिक न्याय के लिऐ उनकी समानता के अधिकार को मान्यता दिया जाना एक अनिवार्य कदम है। गाँधी जी के प्रयासों का ही प्रभाव था कि महिलाओं की समानता व राजनीतिक अधिकारों के महत्त्व को समझते हुये स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इस हेतु स्पष्ट प्रयास किया। भारतीय संविधान ने राष्ट्र को समता के सिद्धान्तों का पालन करने और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आदर करने का वचन दिया तथा राजनीतिक व विविध समता के बारे में महिलाओं के मौलिक अधिकारों की घोषणा की।

भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण अभी तक भी महिलाओं में अधिकारों व महिला सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं है। वर्ग, जाति व पुरूष प्रधानता पर आधारित परम्परागत समाज ने सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाऐं रखने में मुख्य भूमिका निभाई है।

गुड बार और स्केटस (1954) ने कहा है कि एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे। इसी प्रकार अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र में संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से लाभ होता है।

जॉन डब्ल्यू बेस्ट (1963), वास्तव में समस्त मानवीय ज्ञान पुस्तकों तथा पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है। अन्य जीवधारियों से भिन्न हो प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ पुनः नए सिरे से कार्य करते हैं। संबंधित साहित्य का अवलोकन करके वर्तमान शोधकर्ता ने ऊपर लिखित बातों की पूर्ति के लिए अलग–अलग ग्रंथालयों में से अपने शोधकार्य से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया।

प्रतिचयन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन की विशेष महता है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तीनों स्तरों यथा – जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के महिला जन प्रतिनिधियों को एक साथ निदर्शन में सम्मिलित न करते हुए केवल ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित हुई महिला सरपंचों एवं पंचों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण तीनों स्तरों की पंचायतों के कार्य करने में बहुत अन्तर है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज के क्रियान्वयन की वास्तविक जिम्मेदारी केवल ग्राम पंचायत की हैं। इसी के साथ सरपंचों, पंचों की ही भूमिका विशिष्ट एवं केन्द्रीय होने के कारण निदर्शन में उन्हें ही सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध प्रारूप

इस शोध–पत्र में तथ्यों व आंकड़ें पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं से लिए गए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार, प्रश्नावली व अवलोकन विधि के द्वारा एकत्रित किए गए हैं। इस प्रकार शोध में अनुभवपरक पद्धति का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त तथ्यों व आंकड़ों का संकलन कर उनको सांख्यिकीय व वर्णनात्मक विधियों से विश्लेषित किया गया है। जो वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक सांख्यिकीय विधि द्वारा अध्ययन किया गया है।

आयु

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पद व प्रतिष्ठा की निर्धारण करने में आयु महत्त्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण परिवेश में आयु प्रतिनिधित्व के लिए विशेष योग्यता मानी जाती है। सामान्यत ऐसा विश्वास किया जाता है कि अधिक आयु के लोग कम आयु के लोगों की अपेक्षा अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी होते है। परम्परागत रूप से भारत में कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु वालों को अधिक अनुभवी माना जाता रहा है। अतः उन्हीं को नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते है। लेकिन यह परम्परागत धारणा समय व परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होती जा रही है। नेतृत्व की ओर वृद्धों की अपेक्षा मध्य आयु वर्ग का रूझान अधिक देखने को मिल रहा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में ये जानने का प्रयास किया है कि स्थानीय राजनीति में किस आयु वर्ग के लोग अधिक सक्रिय हैं, जिसमें निवार्चित प्रतिनिधियों की आयु जानना आवश्यक है।

तालिका संख्या – 1.1
उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

क्र०	आयु	उत्तरदाताओं की संख्या				कुल
		2010		2015		
		हिसार	फतेहाबाद	हिसार	फतेहाबाद	
1	21 – 30 वर्ष	–	–	17 (77.2%)	12 (63.15%)	29 (33.72%)
2	31 – 40 वर्ष	3 (12.1%)	6 (3%)	4 (18.1%)	7 (36.84%)	19 (22%)
3	41 – 50 वर्ष	13 (52.1%)	8 (4%)	1 (4.5%)	–	24 (27.9%)
4	51 – 60 वर्ष	6 (24%)	4 (2%)	–	–	10 (11.62%)
5	61 से ऊपर	3 (12%)	2 (1%)	–	–	5 (5.8%)
कुल		25	20	22	19	86

तालिका सं० 1.1 में चयनित उत्तरदाताओं की आयु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तालिका से पता चलता है कि जिन महिला उत्तरदाताओं को शोध में शामिल किया गया उनमें 21 से 30 वर्ष तक 2010 की पंचायतों में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं है। जबकि वर्ष 2015 के पंचायती चुनावों में 70.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं अथवा महिला पंचायत प्रतिनिधि की आयु 21 से 30 वर्ष है। वर्ष 2010 तथा 2015 में 31 से 40 वर्ष की आयु की उत्तरदाताओं की संख्या कुल 22 प्रतिशत है। जिन उत्तरदाताओं की आयु 41 से 50 वर्ष है उनकी संख्या वर्ष 2010 तथा 2015 में 27.9 प्रतिशत है। 51 से 60 वर्ष की उत्तरदाताओं की संख्या 2010 में 27.73 है जबकि 2015 में कोई भी महिला पंचायत की सदस्य की उम्र 51 से 60 वर्ष नहीं है। वर्ष 2010 में 61 वर्ष से ऊपर 10. 86 प्रतिशत महिलाएं पंचायत में प्रतिनिधि हैं। जबकि वर्ष 2015 में इस आयु वर्ग से कोई भी महिला पंचायत प्रतिनिधि नहीं है। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 में 21 से 30 वर्ष की कोई भी महिला पंचायत प्रतिनिधि नहीं है। जबकि 2015 में इसी आयु वर्ग की प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। वहीं वर्ष 2010 में 51 वर्ष से अधिक की महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत अधिक है। जबकि 2015 में इसी वर्ग की कोई भी महिला गाँव में पंचायत प्रतिनिधि नहीं है। अतः शोध में पाया गया कि वर्तमान पंचायत चुनावों में युवा महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व उभर कर सामने आया है।

जाति

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। यह व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक जीवन में भी प्रभावी कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों के राजनीतिक जीवन में जाति प्रभावशाली होती है। जाति तथा भारतीय राजनीति के मध्य अभिन्न सम्बन्ध है। अनेक समाजशास्त्रियों और राजनीतिशास्त्रियों द्वारा जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। इनमें से घुरिये (1956), श्रीनिवास (1987), मजूमदार (1958), लुईस डयूमों (1956), रजनी कोठारी (1970) आदि ने जाति व्यवस्था के राजनीतिक पक्ष पर प्रकाश डाला है। ''राजनीति में जाति का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है'', रजनी कोठारी (1970)। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमने उत्तरदातायों की जाति को जानने का प्रयास किया है।

तालिका संख्या – 2.2
उत्तरदाताओं की जाति का विवरण

क्र०	जाति	उत्तरदाताओं की संख्या				कुल
		2010		2015		
		हिसार	फतेहाबाद	हिसार	फतेहाबाद	
1	सामान्य जाति*	5 (20%)	6 (30%)	5 (22.7%)	6 (31.5%)	22 (23.5%)
2	अनुसूचित जाति**	15 (60%)	9 (45%)	10 (45.4%)	8 (42.1%)	42 (48.8%)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग***	5 (20%)	5 (25%)	7 (31.8%)	5 (26.3%)	22 (25.5%)
कुल		25	20	22	19	86

* सामान्य जाति – ब्राह्मण, जाट, जट सिख, विश्नोइ, मेहता (पंजाबी)

** अनुसूचित जाति – चमार, धानक, ओड, राय सिख, बाजीगर, नायक, वाल्मिकी, मजहबी सिख, बावरिया

*** पिछड़ा वर्ग – कुम्हार, खाती, सैनी, नाई, कम्बोज, राय सिक्ख

तालिका संख्या 2.2 में चयनित उत्तरदाताओं की जाति का विवरण दिया गया है। तालिका से पता लगता है कि जिन उत्तरदाताओं को शोध में शामिल किया गया है। उनमें से वर्ष 2010 तथा 2015 में कुल 23.5 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति से हैं। अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं की संख्या वर्ष 2010 तथा 2015 के अनुसार 48.8 प्रतिशत है। जो उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है उनकी संख्या वर्ष 2010 में 22.2 प्रतिशत तथा 2015 में 25.5 प्रतिशत है। तालिका से स्पष्ट होता है कि शोध में सभी जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाऐं सम्मिलित रूप से कुल निर्वाचित महिलाओं का 73 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय निकायों में पिछड़ी जाति की महिलाएँ सामान्य जातियों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय है, जो समाज में आये साकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।

शिक्षा

शिक्षा आत्मप्रकाश के साथ ही अनुभव की सम्पूर्णता है। जो लोगों की अभिवृतियों तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है, साथ ही धर्म और साहस का मार्ग खोलते हुए भय और अंधविश्वास को समाप्त करती है। शिक्षा ज्ञान और शक्ति का आधार है तथा सफलता की प्रथम वृत्ति है। इसके अभाव में सांमजस्य की अनेक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। विकासशील देशों में किये गये अनुसंधान भी इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि शिक्षा आधुनिकता की अभिसूचक है। शिक्षित व्यक्ति अधिक नवाचारक एवं नवीर विचारों को ग्रहण करने वाले होते हैं। लोग जितना अधिक पढ़े–लिखें होंगे उतना ही उनमें नागरिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, उच्च स्तरीय रूचि और आत्मविश्वास की भावना अधिक विकसित होगी, (डाऊसे एवं हयूज, 1962) शिक्षित व्यक्ति अपने राजनीतिक ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को देने में भी सहायक सिद्ध होते है। अतः आधुनिकीकरण के वर्तमान प्रकम में समुदायों का प्रतिनिधित्व शिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। आज राजनीति में शिक्षा के बढ़ते हुऐ महत्त्व का कारण यह है कि प्राचीन काल में नेताओं को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों, परम्पराओं, मान्यताओं एवं संस्थाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता था लेकिन वर्तमान समाज में राजनीति में भागीदारी के लिए समाज की विभिन्न विचारधाराओं, आदर्शों, नीतियों, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के नियमों तथा विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना मुश्किल है। समूह एवं जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस समस्त स्थितियों, नियमों, विधानों एवं कार्यविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी एक नेता विषम परिस्थितियों में सांमजस्य बनाये रखते हुये समुदाय के हितों एवं आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है मुखोपाध्याय (1977)।

तालिका संख्या – 1.3
उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति का विवरण

क्र०	शिक्षा	उत्तरदाताओं की संख्या				कुल
		2010		2015		
		हिसार	फतेहाबाद	हिसार	फतेहाबाद	
1	अनपढ़	21 (84%)	14 (70%)	–	–	35 (40.7%)
2	प्राथमिक 1 से 5	2 (8%)	2 (10%)	2 (9%)	4 (21%)	10 (16.6%)
3	उच्च 6 से 8	1 (4%)	2 (10%)	5 (227%)	11 (57.8%)	19 (22%)
4	माध्यमिक 9 से 10	1 (4%)	2 (10%)	11 (50%)	2 (10.5%)	16 (18.6%)
5	वरिष्ठ माध्यमिक 10+2	–	–	4 (18%)	2 (10.5%)	6 (7%)
कुल		25	20	22	19	86

तालिका संख्या 1.3 में चयनित उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति का विवरण किया गया है। तालिका से पता लगता है कि जिन उत्तरदाताओं को शोध में शामिल किया गया है उनमें से वर्ष 2010 में 77.7 प्रतिशत प्रतिनिधि अनपढ़ हैं। वर्ष 2015 में कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अनपढ़ नहीं है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए उत्तरदाताओं की संख्या 2010 तथा 2015 के अनुसार कुल 16.6 प्रतिशत है। उत्तरदाताओं में वर्ष 2010 तथा 2015 में 22 प्रतिशत ने उच्च मौलिक शिक्षा प्राप्त की है। जिन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है उनकी संख्या वर्ष 2010 तथा 2015 के अनुसार कुल 18.6 प्रतिशत है। वर्ष 2010 में कोई भी पंचायत प्रतिनिधि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षित नहीं थी। जबकि वर्ष 2015 में 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 में जहाँ अधिकांश 77.7 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधि अनपढ़ थी वहीं वर्ष 2015 में कोई भी अनपढ़ महिला पंचायत प्रतिनिधि नहीं है अर्थात् स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नए पंचायती राज संशोधन के द्वारा वर्तमान पंचायतों में पढ़ा–लिखा नेतृत्व उभर कर सामने आया है। यह ग्रामीण समाज में साकारात्मक परिवर्तन है।

आय का विवरण

व्यवसाय के अतिरिक्त आय का भी राजनीतिक सहभागिता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऊँची आय से अवकाश बढ़ता है, चिंताए नहीं रहती और व्यक्ति को राजनीति के सम्पर्क में आने का अधिक अवसर मिलता है। इसी कारण अधिकतर देशों में राजनीतिक नेता उच्च वर्ग से आते हैं। निर्धन देशों में मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय राजनीतिक नेताओं को भी आगे बढ़ते हुऐ देखा जा सकता है। परन्तु वर्तमान में समाज व्यक्ति के गुण–दोषों का मूल्यांकन उसकी आय के आधार पर करता है। व्यक्ति की आय के आधार पर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है। व्यक्ति के आचरण, विचार, व्यवहार, प्रतिभा आदि गुणों के साथ–साथ आर्थिक सुदृढ़ता को भी गुणों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। इस कारण आय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना शोध के लिए आवश्यक हो गया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की पारिवारिक आय को जानना आवश्यक है।

तालिका सं० – 1.4
उत्तरदाताओं के आय का विवरण

क्र०	आय	उत्तरदाताओं की संख्या				कुल
		2010		2015		
		हिसार	फतेहाबाद	हिसार	फतेहाबाद	
1	50,000 तक	11 (44%)	10 (50%)	11 (50%)	9 (47.3%)	41 (47.6%)
2	51,000 से 1,00,000 तक	8 (32%)	3 (15%)	8 (36.3%)	5 (26.3%)	24 (27.9%)
3	1,00,000 से 1,50,000 तक	5 (20%)	7 (35%)	1 (4.5%)	4 (21.05%)	17 (19.7%)
4	1,50,000 से अधिक	1 (4%)	–	2 (9.09%)	1 (5.2%)	4 (4.6%)
कुल		25	20	22	19	86

तालिका संख्या 1.4 में उत्तरदाताओं की वार्षिक आय का विवरण दिया गया है। जिसमें दर्शाया गया है कि 50,000 से कम की वार्षिक आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या वर्ष 2010 2015 में 47.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2010 तथा 2015 में 27.9 प्रतिशत उत्तरदात्ताओं की वार्षिक आय 50,000 से एक लाख तक थी। 1 लाख से 1. 50 लाख तक की वार्षिक आय वाले उत्तरदात्ताओं की संख्या वर्ष 2010 तथा 2015 में 19.7 प्रतिशत रही। तालिका में स्पष्ट है कि 1.5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले उत्तरदाता कम थे जिनका कुल प्रतिशत मात्र 4.6 ही था। इस प्रकार तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि 50,000 से कम वार्षिक आय वाले उत्तरदात्ताओं की संख्या ज्यादा थी जिसका कुल 47.6 प्रतिशत था।

व्यवसाय का विवरण

ग्रामीण नेतृत्व के आर्थिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण के लिए उनके व्यवसायों को जानना महत्वपूर्ण है। व्यवसाय का सम्बन्ध व्यक्ति के आर्थिक जीवन से है। व्यक्ति का व्यवसाय उसकी अभिवृति व व्यवहार को प्रभावित करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण स्तर पर अधिक कृषि योग्य भूमि रखने वाले सदस्यों को अधिक प्रतिष्ठा व सम्मान दिया जाता है। जो सदस्य अधिक व्यवसयों से सम्बन्धित होगा, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होगी जो उसे नेतृत्व प्राप्त करने में सहायक होगी। अधिक व्यवसायों में संलिप्त होने के कारण उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी अपेक्षाकृत अन्य व्यक्त्यिों से अधिक प्रतिष्ठित होगी। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में उसकी स्थिति कैसी है। प्रत्येक पंचायत सदस्य के व्यवसाय से ही उसके नेतृत्व की स्थिति को आंका जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की व्यवसायिक स्थिति बढ़ती है तो उसकी सामाजिक परिस्थिति व राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ती है।

तालिका संख्या – 1.5
उत्तरदाताओं के व्यवसाय का विवरण

क्र०	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या				कुल
		2010		2015		
		हिसार	फतेहाबाद	हिसार	फतेहाबाद	
1	मजदूर	12 (48%)	9 (45%)	14 (63.6%)	7 (36.8%)	42 (48.8%)
2	किसान	11 (44%)	9 (45%)	4 (18.1%)	8 (42.1%)	32 (37.2%)
3	व्यवसायिक कार्य / स्वरोजगार	2 (8%)	2 (10%)	4 (18.1%)	4 (21.05%)	12 (13.9%)
कुल		25	20	22	19	86

तालिका संख्या 1.5 में चयनित उत्तरदाताओं के व्यवसाय का विवरण दिया गया है। जिसमें पता लगता है कि वर्ष 2010 तथा 2015 में कोई भी उत्तरदाता सरकारी व गैर–सरकारी नौकरी नहीं कर रही है। वर्ष 2010 तथा 2015 48.8 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूर व्यवसाय से जुड़ी पाई गयी। वर्ष 2010 व 2015 में उत्तरदाता 37.2 प्रतिशत कृषि व्यवसाय से जुड़ी थी। व्यवसायिक कार्य/स्वरोजगार करने वाली महिला उत्तरदाताओं की संख्या 2010 तथा 2015 में 13.9 प्रतिशत रही। इस प्रकार तालिका से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर उत्तरदाता मुख्य रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है।

सन्दर्भ पुस्तकें

- अल्तेकर, ए०एस० (1959), प्राचीन भारत की शासन पद्धति, भारतीय भण्डार, प्रयाग
- कर्वे, इरावती (1995), हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था, ओरियंट लॉगमेन, नई दिल्ली
- कोठारी, रजनी (2005), भारत में राजनीति, ओरियंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- कोठारी, रजनी (2003), राजनीति की किताब, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- कृष्णकांत, सुमन (2001), इक्कसवीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- गोयल, सुनील एवं गोयल, संगीता (2005), भारतीय समाज की नारी, आ०बी० एस० पब्लिकेशन्स, जयपुर
- गोयल, सुनील (1998), ग्रामीण समाजशास्त्र, आर०बी०एस० पब्लिशर्स, जयपुर
- गुप्ता, एस०पी० (2001), हरियाणा प्रगति के पथ पर, एस०पी० पब्लिकेशन, चण्डीगढ़
- त्यागी, शालीनी (2006), पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण, नवजीवन पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, राजस्थान